दिनांक 05 जनवरी 2023 को आयोजित राष्ट्रीय कौशल अर्हता समिति (एनएसक्यूसी) की 25 वीं बैठक का कार्यवृत्त

1. राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद् (एनसीवीईटी) के अंतर्गत राष्ट्रीय कौशल अर्हता समिति (एनएसक्यूसी) की **25**वीं बैठक दिनांक 05 जनवरी 2023 को एनसीवीईटी के अध्यक्ष डॉ. निर्मलजीत सिंह कलसी की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई थी। प्रतिभागियों की सूची **अनुबंध-I** में दी गई है।

2. बैठक में कार्यसूची मदों के संदर्भ में समिति द्वारा लिए गए निर्णयों का ब्यौरा आगामी पैरा में दिया गया है।

कार्यसूची मद 01: **दिनांक 17 नवंबर 2022 को आयोजित एनएसक्यूसी की 24 वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि**

3. समिति ने दिनांक **17 नवंबर 2022** को आयोजित एनएसक्यूसी की **24** वीं बैठक के कार्यवृत्त की **पुष्टि** की।

कार्यसूची मद 02: **एनएसक्यूसी की 24 वीं बैठक में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट**

4. समिति को एनएसक्यूसी की 24 वीं बैठक के कार्यवृत्त के संबंध में **की गई कार्रवाई** का विस्तृत विवरण दिया गया। समिति ने की गई कार्रवाई का संज्ञान लिया और उसे **अनुमोदित किया।**

5. समिति को अवगत कराया गया कि पिछले एनएसक्यूसी में दिए गए सुझाव के अनुसार एनसीवीईटी प्रदायी निकायों द्वारा अर्हताओं को शामिल करने संबंधी मौजूदा दिशा-निर्देशों में संशोधन करने की प्रक्रिया में है ताकि विषय-वस्तु को शामिल करने, प्रशिक्षण, प्रमाण-पत्र जारी करने, प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण (टीओटी) और मूल्यांकनकर्ताओं के प्रशिक्षण (टीओए) के साथ, जो विशेष रूप से एनसीआरएफ/ एनएसक्यूएफ संरेखण के लिए मान्यता प्राप्त एबी द्वारा अन्यथा बहुत हद तक एक समान या काफी दोहराव तथा कभी-कभी साहित्यिक चोरी या ओवरलैपिंग सामग्री के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है, इसके संबंध में इसे और अधिक समावेशी बनाने के लिए राष्ट्रीय व्यवसाय मानक (एनओएस) और माइक्रो क्रेडेंशियल्स को शामिल किया जा सके।

6. एनएसक्यूसी के अध्यक्ष ने संबंधित निदेशक के द्वारा उक्त दिशा-निर्देशों को शीघ्र प्रस्तुत करने की इच्छा व्यक्त की। यह भी सुझाव दिया गया कि दोहराव और साहित्यिक चोरी के मुद्दे का समाधान करने के लिए किसी घोषणा/ प्रमाण पत्र/ ऐसे किसी अन्य दस्तावेज को भी शामिल

किया जाए और साथ ही किसी मान्यता प्राप्त प्रदायी निकाय द्वारा शामिल की जा रही किसी भी अर्हता के मामले में, वे अर्हता में समानता के अनुमानित प्रतिशत को इंगित करते हुए पूर्ण विवरण के साथ एक अनुबंध के रूप में प्रस्तुत करेंगे।

अनुपालन की स्थिति **अनुबंध-II** में दी गई है।

कार्यसूची मद 03: एनएसक्यूएफ संरेखण के लिए अर्हताएं/एनओएस/एमसी प्रस्तुत करना

7. समिति को 25 वीं एनएसक्यूसी बैठक में रखे जाने के लिए विचार किए गए 48 अर्हताओं (32 नए और 16 संशोधित), 02 एनओएस और 05 एमसी का विवरण दिया गया था। उपर्युक्त सभी अर्हताओं के संबंध में समिति का निर्णय अनुवर्ती पैरा में दिया गया है।

प्रदायी निकाय

8. प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी): तीन (03) नई अर्हताओं को अनुमोदन के लिए समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। दो (02) अर्हताओं को अनुमोदन प्रदान कर दिया गया। **तीसरी अर्हता** "एयरोनॉटिकल स्ट्रक्चर एंड इक्विपमेंट फिटर" को "कैपिटल गुड्स एंड मैन्युफैक्चरिंग में 02 वर्षों के एडवांस्ड डिप्लोमा (व्यावसायिक) के प्रवेश स्तर के मानदंड को हटाने की शर्त के अधीन अनुमोदित किया गया था क्योंकि यह अब मौजूद नहीं है**,** जिस पर डीजीटी के द्वारा सहमति दी गई थी। इसका ब्यौरा **अनुबंध-III** में दिया गया है।

9. **एएसएपी केरल**: एक (01) नई अर्हता अनुमोदन के लिए समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई थी। समिति ने "मरीन स्ट्रक्चर फिटर एंड फैब्रिकेटर" के संशोधित नाम के साथ और "कक्षा 10 वीं के बाद 2 वर्षीय आईटीआई (वेल्डिंग) के प्रवेश मानदंड को जोड़ने के साथ अर्हता को अनुमोदन प्रदान कर दिया, जिस पर एएसएपी केरल के द्वारा सहमति दी गई थी। इसका ब्यौरा **अनुबंध-III** में दिया गया है।

10. **पश्चिम बंगाल राज्य तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास परिषद् (डब्ल्यूबीएससीटी एंड वीई एंड एसडी):** तीन (03) संशोधित अर्हताओं को अनुमोदन के लिए समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। दो (02) संशोधित अर्हताओं को अनुमोदन प्रदान कर दिया गया और तीसरी अर्हता "असिस्टेंट हाउस वायरमैन एंड मोटर वाइंडर" को निम्नलिखित परिवर्तनों की शर्त के अधीन अनुमोदित किया गया, जिस पर डब्ल्यूबीएससीटी एंड वीई एंड एसडी के द्वारा सहमति दी गई थी:

क) मोटर वाइंडिंग एनओएस (छत के पंखे / टेबल फैन के आर्मेचर के लिए परफॉर्म वाइंडिंग) के नोशनल घंटों के सैद्धांतिक घटक को 15 घंटे से 60 घंटे तक बढ़ाया

जाना चाहिए।

ख) तीन- चरणों के मोटर से संबंधित संकल्पनाओं को अर्हता सामग्री से हटा दिया जाएगा।

11. **कृषि क्षेत्र कौशल परिषद्:** समिति के समक्ष दो (02) नई अर्हताएं प्रस्तुत की गईं और नीचे उल्लिखित एक अर्हता में प्रवेश मानदंड में परिवर्तन के साथ उनका अनुमोदन किया गया, तथा **एएससीआई** द्वारा इस पर सहमति व्यक्त की गई:

क) प्रिसिजन फार्मिंग टेकनीशियन - प्रवेश मानदंड में, "द्वितीय वर्ष के यूजी प्रमाण पत्र" के प्रवेश विकल्प के लिए प्रासंगिक / विशिष्ट क्षेत्र जोड़ा जाना है।

12. **ऑटोमोटिव क्षेत्र कौशल परिषद्**: भविष्य के कौशल से संबंधित सात (07) नई अर्हताओं को एनएसक्यूसी के समक्ष अनुमोदन के लिए रखा गया था। तीन (03) अर्हताओं को अनुमोदित किया गया था, जबकि चार (04) अर्हताओं को एनसीआरएफ/ एनएसक्यूएफ के स्तर के निरूपकों के साथ संरेखण और तत्पश्चात एनएसक्यूसी के अध्यक्ष से अनुवर्ती अनुमोदन प्राप्त करने की शर्त के अधीन सशर्त अनुमोदन प्रदान किया गया है। इसका ब्यौरा **अनुबंध-III** में दिया गया है।

13. **बीएफएसआई क्षेत्र कौशल परिषद्**: तीन (03) नई अर्हताओं को अनुमोदन के लिए समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। समिति ने टिप्पणी की कि इन कार्य भूमिकाओं के वित्तीय क्षेत्र से संबंधित होने के कारण प्रवेश स्तर के प्रस्तावित मानदंड और एनएसक्यूएफ स्तर को संशोधित करने और तदनुसार अन्य एनएसक्यूएफ मापदंडों के अनुरूप मैप करने की जरूरत है, जिससे उद्योग में बेहतर स्वीकार्यता सुविधाजनक बनेगी।

14. बीएफएसआई के प्रतिनिधि ने इस पर सहमति व्यक्त की और समिति के सुझावों को स्वीकार कर लिया। सभी तीन अर्हताओं को संशोधित एनएसक्यूएफ स्तर 4 और "12 वीं कक्षा पास या 10 वीं कक्षा पास और स्कूली शिक्षा जारी रखने" के प्रवेश मानदंड के साथ **अनुमोदित** किया गया था। इसका ब्यौरा **अनुबंध-III** में दिया गया है।

15. **घरेलू कामगार क्षेत्र कौशल परिषद्:** तीन (03) नई और एक (01) संशोधित अर्हताओं को अनुमोदन के लिए एनएसक्यूसी के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। समिति ने 03 नई अर्हताओं को अनुमोदित किया और 01 संशोधित अर्हता को संशोधित नामकरण के साथ अनुमोदित किया गया जिस पर डीडब्ल्यूएसएससी द्वारा विधिवत सहमति व्यक्त की गई थी। इसका ब्यौरा **अनुबंध-III** में दिया गया है।

16. **प्रबंधन क्षेत्र कौशल परिषद्:** चार (04) नई अर्हताओं को अनुमोदन के लिए एनएसक्यूसी के

समक्ष प्रस्तुत किया गया था। "डिजाइन थिंकिंग एग्जीक्यूटिव" नामक एक अर्हता को अनुमोदन प्रदान नहीं किया गया था। एमईपीएससी को सलाह दी गई कि वह पहले बुनियादी अर्हता पर काम करे और उसके बाद अपस्किलिंग अर्हता पर काम करे। इसके अलावा, एनसीवीईटी सहित अन्य हितधारकों के परामर्श से विषय विशेषज्ञों के साथ विचार-विमर्श करने और अर्हता को अनुमोदन के लिए फिर से प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

17. शेष 03 अर्हताओं को एनएसक्यूसी द्वारा सुझाए गए परिवर्तनों के साथ अनुमोदित किया गया था और एमईपीएससी द्वारा इस पर सहमति व्यक्त की गई थी। इसका ब्यौरा **अनुबंध-III** में दिया गया है।

18. **दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कौशल परिषद्:** कुल 17 (9 संशोधित और 8 नई) अर्हताओं को अनुमोदन के लिए एनएसक्यूसी के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। एनएसक्यूसी ने सभी 17 अर्हताओं को अनुमोदन प्रदान कर दिया। इसका ब्यौरा **अनुबंध-III** में दिया गया है।

19. तथापि, **पोलीशर और क्लीनर (दिव्यांगजन) - एलडी, पोलीशर और क्लीनर (दिव्यांगजन)-एसएचआई, पोलीशर और क्लीनर (दिव्यांगजन) - एलवी, पोलीशर और क्लीनर (दिव्यांगजन) - वीआई, गेस्ट सर्विस एसोसिएट (फ्रंट ऑफिस) (दिव्यांगजन)-एलडी, सीसीटीवी इंस्टॉलेशन तकनीशियन (दिव्यांगजन)-एसएचआई** नामक पांच (5) संशोधित अर्हताओं के लिए, जिनमें प्रशिक्षण की संख्या शून्य थी, उसके लिए समिति ने अन्य क्षेत्रों के संबंध में 06 माह की सामान्य नीति की तुलना में दिव्यांगता क्षेत्र की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए 01 वर्ष की वैधता के साथ अनुमोदित किया।

20. **रबड़ क्षेत्र कौशल परिषद् :** तीन (03) संशोधित अर्हताओं को अनुमोदन के लिए एनएसक्यूसी के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। सभी तीन अर्हताओं को सुझाए गए परिवर्तनों के साथ अनुमोदित किया गया था और आरसीपीएसडीसी द्वारा उन पर सहमति व्यक्त की गई थी। सभी तीन (03) अर्हताओं के लिए "01-वर्षीय एनटीसी/एनएसी/एनआईटीसी के साथ 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण" को "02-वर्षीय एनटीसी/एनएसी/एनआईटीसी के साथ 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण" के साथ प्रतिस्थापित कर दिया गया है और "रबर मिक्सिंग सुपरविजन" नामक अर्हता के लिए संबंधित अनुभव को उचित ढंग से परिभाषित किया जाना अपेक्षित है। इसका ब्यौरा **अनुबंध-III** में दिया गया है।

21. **पर्यटन क्षेत्र कौशल परिषद् :** समिति के समक्ष प्रस्तुत एक (01) नई अर्हता को अपेक्षित संख्या में इंडस्ट्री वेलिडेशन प्रस्तुत करने के शर्त के अधीन सशर्त अनुमोदन प्रदान किया गया था। इसका ब्यौरा **अनुबंध-III** में दिया गया है।

22. **नैसकॉम क्षेत्र कौशल परिषद:** दो (02) स्टैंडअलोन एनओएस और पांच (05) माइक्रो क्रेडेंशियल को अनुमोदन के लिए एनएसक्यूसी के समक्ष रखा गया था। एक (01) एनओएस और 5 एमसी को अनुमोदित किया गया था। एक (01) एनओएस और एक (01) एमसी को नामकरण में बदलाव करने की शर्त के अधीन सशर्त अनुमोदन प्रदान किया गया था। नैसकॉम को अनुमोदन के लिए 'फाइल पर' नामों का सुझाव देने सलाह दी गई और नैसकॉम ने इस पर सहमति व्यक्त की थी। इसका ब्यौरा **अनुबंध-III** में दिया गया है।

अध्यक्ष की अनुमति से अतिरिक्त बिंदु

23. एनएसक्यूसी अनुमोदन प्रक्रिया के अंतर्गत, समिति ने प्रदायी निकायों को स्मरण दिलाया कि उन्हें अर्हता को विचार और अनुमोदन के लिए समिति के समक्ष लाने से पहले इंडस्ट्री वेलिडेशन की संख्या के बुनियादी मानदंडों का पालन करना होगा।

24. जीजेएससीआई के सीईओ श्री राजीव गर्ग ने समिति से सीएसआर/ उद्योग द्वारा वित्त पोषित प्रशिक्षणों के लिए एसटीटी प्रमाणपत्र टेम्पलेट के उपयोग पर स्पष्टीकरण देने का अनुरोध किया। समिति ने उसी टेम्पलेट का उपयोग करने की सलाह दी, तथापि, सीएसआर और उद्योग प्रमाणन के लिए उपयोग की जाने वाली भाषा के लिए एनसीवीईटी का अनुमोदन प्राप्त करने का अनुरोध किया गया था।

25. एएससीआई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. सत्येन्द्र सिंह आर्य ने समिति से अपस्किलिंग पाठ्यक्रमों (आरपीएल प्रमाणपत्र टेम्पलेट से भिन्न) के लिए अलग-अलग प्रमाणपत्र टेम्पलेट रखने का अनुरोध किया। समिति ने सुझाव को स्वीकार कर लिया और एनसीवीईटी को इस मामले पर ध्यान देने और इसके लिए एक और टेम्पलेट तैयार करने का निर्देश दिया।

26. एनसीवीईटी के अध्यक्ष के द्वारा इकोसिस्टम में सभी हितधारकों की जानकारी और उनके द्वारा की जाने वाली कार्रवाई के लिए निम्नलिखित बातें साझा की गई:

क) विभिन्न हितधारकों की बैठकों और सार्वजनिक परामर्श के बाद राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क (एनसीआरएफ) दस्तावेज को अंतिम रूप दे दिया गया है। इसे अनुमोदन और अधिसूचना के लिए संबंधित प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा।

ख) भारत की तीनों सेनाओं अर्थात भारतीय नौसेना, भारतीय वायु सेना के सभी 19 संस्थानों और भारतीय सेना के 17 निदेशालयों को 'पुनः स्थापन' परियोजना के अंतर्गत प्रदायी निकाय (दोहरी श्रेणी) के रूप में मान्यता देकर औपचारिक रूप से

एमएसडीई/ एनसीवीईटी के स्किल इकोसिस्टम में शामिल किया गया है। अब वे अपने सैनिकों को प्रदान किए जा रहे कौशल प्रशिक्षण, जो वे अकादमिक, व्यावसायिक और अनुभवात्मक शिक्षा सहित अपनी नियमित प्रशिक्षण प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त करते हैं, को 'क्रेडिट' व्यवस्था के तहत लाने और इन सभी संस्थानों द्वारा प्रदान किए जा रहे पाठ्यक्रमों/ प्रशिक्षण को राष्ट्रीय कौशल अर्हता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) के साथ संरेखित करने में सक्षम होंगे। इस प्रकार के प्रयास इन संस्थानों को रक्षा कार्मिकों के लाभ के लिए स्किल क्रेडिट असाइनमेंट, संचय, भंडारण और रिडेम्पशन की प्रगतिशील यात्रा शुरू करने में सक्षम बनाएँगे। यह उनके लिए 12 वीं कक्षा का प्रमाण पत्र और / या यूजी प्रमाण पत्र / डिप्लोमा / डिग्री प्राप्त करने के लिए एक मार्ग भी प्रदान करेगा।

ग). एमएसडीई ने कुछ ऐसे क्षेत्रों की पहचान की है जिनमें आने वाले 03 महीनों में पूरा किए जाने वाले पाठ्यक्रमों/ बहुकौशल प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को तुरंत शुरू किया जाना है। इन सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों की अवधि अधिकतम 4 सप्ताह / एक महीने (200 घंटे) की होगी। इसलिए, संबंधित एबी से मौजूदा अनुमोदित एनओएस/अर्हताओं में से नई अर्हताएं विकसित/ एकत्रित करने का अनुरोध किया गया था। ऐसा करते समय प्रदायी निकायों को विशेष कार्य भूमिकाओं में जनशक्ति की आवश्यकता को ध्यान में रखना चाहिए ताकि कम से कम 90% प्रशिक्षुओं को रखा जा सके।

घ) एनसीवीईटी ने चिंता व्यक्त करते हुए टिप्पणी की है कि एबी; संचालित किए गए प्रशिक्षणों की संख्या, नई और भविष्य की अर्हताओं में प्रशिक्षण और पिछली दो तिमाहियों में संबद्ध किए गए नए प्रशिक्षण केंद्रों की संख्या के संबंध में निष्पादन बिल्कुल संतोषजनक नहीं रहा है। इसलिए, सीईओ से अनुरोध किया गया था कि वे प्रदायी निकाय के रूप में इन पहलुओं पर ध्यान दें क्योंकि उनकी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को प्रशिक्षण, टीओटी, टीओए, इंडस्ट्री कनेक्ट, भविष्य की अर्हताओं के विकास और कार्यान्वयन, नए केंद्रों की संरेखण आदि के संबंध में दिशानिर्देशों में स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है और साथ ही साथ शुल्क-आधारित कार्यक्रमों (उनकी मान्यता प्रदान करने की प्रक्रिया के दौरान प्रस्तुत की गई कार्य योजना के अनुसार) पर काम करें।

ङ) एनसीवीईटी से मान्यता प्राप्त एबी को उनकी आवश्यकता के अनुसार विशेष रूप से भविष्य के कौशल या उभरते प्रौद्योगिकी क्षेत्रों या बाजार में उच्च मांग वाली कार्य

भूमिकाओं में शुल्क-आधारित कार्यक्रमों के लिए गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण केंद्रों को संरेखण प्रदान करने के लिए कहा गया था और उनके द्वारा संबद्ध टीसी की एक सूची को दिनांक 31 जनवरी 2023 तक प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था।

अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद ज्ञापन करने के साथ बैठक समाप्त हुई।

....

Annexure- I

List of Participants

National Skills Qualifications Committee (NSQC) Members

1. Dr Nirmaljeet Singh Kalsi, Chairperson, NCVET
2. Dr Vinita Aggarwal, Executive Member, NCVET
3. Dr Neena Pahuja, Executive Member, NCVET
4. Ms. Trishaljit sethi, DG, DGT
5. Mr. Anil Gairola, DS, DoSEL
6. Mr. Karma Z Bhutia, JS, MoRD
7. Ms Deepti Saxena, NSDC

NCVET Officials

1. Col. Santosh Kumar, Director, NCVET
2. Lt. Col Gunjan Chowdhary, Director, NCVET
3. Mr Sushil Agarwal, Director, NCVET
4. Mr Punendu Kant, Director, NCVET
5. Mr. Harish Chander, DD, NCVET
6. Mr. Milan Sahu, DD, NCVET
7. Ms. Sarika Dixit, Consultant, NCVET
8. Mr Amit Sharma, Consultant, NCVET
9. Mr Lav Bhardwaj, Consultant, NCVET
10. Ms. Ojasvi Goyal, Consultant, NCVET
11. Mr Ajit Jaiswal, Consultant, NCVET
12. Mr. Amresh Kumar, Consultant, NCVET
13. Mr. Abhinav Mishra, Consultant, NCVET
14. Mr. Amir Waheed, Consultant, NCVET
15. Mr. Balaji Baskaran, Consultant, NCVET
16. Ms. Srishti Jha, Consultant, NCVET
17. Ms. Ratna Priya Kanchan, Consultant, NCVET
18. Mr. Parkishit Yadav, Consultant, NCVET

Representatives from sectoral stakeholders

1. Ms. Saequa Monazza, CAO, WBSCTVESD
2. Mr. Pinaki Ranjan Paul, WBSCTVESD
3. Dr Anej Somaraj, ASAP Kerala
4. Dr. P. Saxena CEO, Green Jobs
5. Col. Anil Pokhriyal, CEO, MEPSC
6. Mr. Jagdish Acharya, CEO, PCSC
7. Ms. Kirti Seth, CEO, SSC NASSCOM
8. Mr. Mohit Soni, CEO MESC
9. Ms Mona Gupta, CEO, DWSSC

10. Mr. Ravindra Singh CEO, SCPwD
11. Dr Satender Singh Arya, CEO, ASCI
12. Mr. Rajeev Garg, CEO, GJSCI
13. Col. Anand Kumar Singh, CEO, Safety Skill Development Foundation
14. Mr. Saif Mohd- CEO RCPSDC
15. Mr. Ashish Anand - SCPwD
16. Mr. Aman - HCSSC
17. Mr. Amit Singh - AMHSSC
18. Mr. Anju Bajaj -Lub
19. Mr. Ankur -FICSI
20. Mr. Apoorv-SCMS
21. Mr. Bhuvnesh Verma (SSDF)
22. Mr. Deepak Rai - SCGJ
23. Ms. Deepika Nair- AWS
24. Mr. Deewakar Gupta - AWS
25. Mr. Devraj - ESSCI
26. Dr Swapna Mishra (Textile SSC)
27. Dr. Sunita BadhwarTHSC
28. Ms. Garima Jhamb - ASDC
29. Mr. Goutam Bhattacharya-LSSSDC
30. Ms. Gunjan Aneja - WMPSC
31. Ms. Indira_Zinnov
32. Ms. Meenu_ASDC
33. Ms. Monalisa Baruah - RCPSDC
34. Ms. Pratibha Mishra - CSDCI
35. Ms. Priya - LSC
36. Ms. Reena - LSC
37. Ms. Ritika Shankar - NASSCOM
38. Mr. Santosh Saha - MEPSC
39. Dr. Niharika Nigam - SCPwD
40. Ms. Shilpa Adlakha - Rubber SSC
41. Mr. Snehasis Bagchi - NASSCOM SSC
42. Mr. Subbaiyan - IESC
43. Mr. Sudhir Jain - TSSC
44. Mr. Vigneshraja - Textile SSC
45. Ms. Vishakha ESSCI
46. Mr. Vivek Dwivedi-Zinnov

Annexure-II

Action Taken Report on Decisions Taken in the 24th NSQC Meeting:

2.1 Decisions taken in the 24th Meeting of NSQC

S.No	Name of the Submitting Body	Name of the Qualification	Status of Compliance	Status of Approval
1	NASSCOM	Software Programmer	Compliance fulfilled	Approved
2	Safety and Skill Foundation (SSDF)	Trainee Scaffolder (level 2)	Compliance not fulfilled – found to be the duplication of CSDCI qualification	Not Approved
		Basic Scaffolder (level 3)	Compliance not fulfilled - found to be the duplication of CSDCI qualification	Not Approved
3	Shri Vishwakarma Skill University (SVSU)	Mushroom Producer (Small Farm)	A meeting has been scheduled on 11th January 2023.	Not Approved
		Yoga Skill Trainer		Not Approved

Annexure- III

NSQC Decision on Qualifications placed for alignment and approval in the 25th NSQC Meeting.

Sl. No.	Qualification Name	New/ Revised	NSQF Level	Approval Status
DGT				
1	Small Hydro Power Plant Technician	New	4	Approved
2	Wind Plant Technician	New	4	Approved
3	Aeronautical Structure and Equipment Fitter	New	5	Approved
ASAP				
1	Marine Structural Fitter & Fabricator	New	4	Approved
West Bengal State Council of Technical & Vocational Education and Skill Development				
1	Amin Surveyor Assistant	Revised	2.5	Approved
2	Assistant House Wireman and Motor Winder	Revised	3	Approved
3	Junior Plumber	Revised	3	Approved
Agriculture Skill Council of India				
1	Vriksh Sanrakshak	New	4	Approved
2	Precision Farming Technician	New	5	Approved
ASDC (AUTOMOTIVE SKILLS DEVELOPMENT COUNCIL)				
1	Automotive Dealership Data Analyst	New	6	Approved
2	Automotive Dealership Data Manager	New	6.5	**Conditionally Approved**
3	Automotive Sustainability Engineer	New	6	Approved
4	Automotive Design Safety Manager	New	6.5	**Conditionally Approved**
5	Automotive IIOT Application Manager	New	6.5	**Conditionally Approved**
6	Automotive Manufacturing Data Analyst	New	6	Approved
7	Automotive Manufacturing Data Manager	New	6.5	**Conditionally Approved**
Banking Financial Services and Insurance Sector Skill Council (BFSISSC)				
1	Back Office Associate - Financial Services	New	4	Approved
2	Sales Associate - Direct Channel	New	4	Approved
3	Bancassurance Relationship Associate	New	4	Approved
Domestic Workers Sector Skill Council				
1	Laundry Service Provider	New	3	Approved
2	Tiffin Service Provider	New	4	Approved
3	Elderly Care Companion	New	4	Approved

4	Multipurpose Executive (Small Establishment & Household)	Revised	4	Approved
Management SSC				
1	Design Thinking Executive	New	5	**Not Approved**
2	Start up Support Executive	New	4.5	Approved
3	Sole Proprietorship - Associate	New	4	Approved
4	Office Executive	New	4	Approved
PWD SSC				
1	Bamboo Work Artisan (Divyangjan)-LD	New	3	Approved
2	Bamboo Work Artisan (Divyangjan)-SHI	New	3	Approved
3	Bamboo Work Artisan (Divyangjan)-LV	New	3	Approved
4	Bamboo Work Artisan (Divyangjan)-VI	New	3	Approved
5	Dietetic Aide (Divyangjan)-LD	New	3	Approved
6	Consignment Tracking Executive (Divyangjan)- LD	New	3	Approved
7	Sound Editor (Divyangjan)-LV	New	4	Approved
8	Sound Editor (Divyangjan)-VI	New	4	Approved
9	Polisher & Cleaner (Divyangjan)-LD	Revised	3	Approved for 1 year
10	Polisher & Cleaner (Divyangjan)-SHI	Revised	3	Approved for 1 year
11	Polisher & Cleaner (Divyangjan)-LV	Revised	3	Approved for 1 year
12	Guest Service Associate (Front Office) (Divyangjan)-LD Elec. 1: Front Office Elec. 2: Guest Reservation Associate	Revised	4	Approved for 1 year
13	CCTV Installation Technician (Divyangjan)-SHI	Revised	4	Approved for 1 year
14	LED Light Repair Technician (Divyangjan)-LD	Revised	4	Approved
15	LED Light Repair Technician (Divyangjan)-SHI	Revised	4	Approved
16	Self Employed Tailor (Divyangjan)-LD	Revised	4	Approved
17	Self Employed Tailor (Divyangjan)-SHI	Revised	4	Approved
Rubber SSC				
1	Rubber Warehouse Supervisor	Revised	5	Approved
2	Rubber Mixing Supervisor	Revised	5	Approved
3	Rubber Moulding and Curing Supervisor	Revised	5	Approved
	Tourism and Hospitality Skill Council			
1	Walk Tour Facilitator	New	4	**Conditionally Approved**

NOS				
NASSCOM				
1	Machine Learning Pipeline on AWS (Basic)	New	5	Approved
2	Problem Analyst & Solution development in IT	New	5	**Conditionally Approved**
Micro-Credentials				
NASSCOM				
1	Technology and Business Fundamentals	New	4	Approved
2	Professional Skills - interpersonal relations at workplace	New	4	**Conditionally Approved**
3	AWS Cloud Practitioner Essentials (Basic)	New	4	Approved
4	Architecting on AWS(Basic)	New	4	Approved
5	Developing on AWS (Basic)	New	4	Approved

Annexure- IV

Summary of the Qualification Status in the 25th NSQC held on 05 January 2023

Sr. No	Name of the Awarding Body	Files considered for NSQC			NSQC Decision
		New	Revised	Total	
	CENTRAL MINISTRY				
i.	DGT	3	0	3	**03 approved**
	STATES				
i.	ASAP Kerala	1	0	1	**01 approved**
ii.	West Bengal SCTVE&SD	0	3	3	**03 approved**
	SECTOR SKILL COUNCIL				
i.	Agriculture Sector Skill Council	2	0	2	**02 approved**
ii.	Automotive Sector Skill Council	7	0	7	**03 approved & 04 conditionally approved**
iii.	BFSI Sector Skill Council	3	0	3	**03 approved**
iv.	Domestic Sector Skill Council	3	1	4	**04 approved**
v.	Management Sector Skill Council	4	0	4	**03 approved & 01 not approved**
vi.	PwD Sector Skill Council	8	9	17	**12 approved & 05 approved for 1 year**
vii.	Rubber Skill Council	0	3	3	**03 approved**
viii.	Tourism Sector Skill Council	1	0	1	**01 conditionally approved**
	Total	**32**	**16**	**48**	
National Occupational Standards (NOS)					
i.	NASSCOM	2	0	2	**01 NOS approved 01 NOS conditionally approved**
	Total	**2**	**0**	**2**	
Micro-Credentials (MC)					
i.	NASSCOM	5	0	5	**04 MCs approved & 01 MC conditionally approved**
	Total	**5**	**0**	**5**	